

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक दौसा


कार्यालय आदेश

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान इन्हें दिनांक 07.07.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

संबंधित संस्था प्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि :-

1. संबंधित कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण न होने की स्थिति में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
2. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो/निलम्बित हो/न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो/न्यायालय में कार्मिक के विरुद्ध वाद विचाराधीन हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
3. प्रबोधक तथा पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त ऐसे कार्मिक जिनका राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है, ऐसे कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापकों को शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
5. शिक्षक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के समय पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन एवं स्थानान्तरित जिले में वरिष्ठता कनिष्ठतम होने संबंधित सहमति का शपथ पत्र लिया जावे अन्यथा कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
6. गैर प्रतिबंधित जिले से गैर प्रतिबंधित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31.12.2012 के पश्चात् की हो तो उन्हें कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
7. प्रतिबंधित जिले से गैर प्रतिबंधित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31.12.2008 के पश्चात् की हो तो उन्हें कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
8. टीएसपी से गैर टीएसपी क्षेत्र हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
9. लेवल-1 एवं लेवल-2(सामान्य) के अध्यापक को लेवल-1 के पद पर एवं लेवल-2 के अध्यापक को संबंधित कार्मिक के विषयानुसार ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावे।
10. प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण होने पर यदि हटने वाले कार्मिक निर्धारित गम्भीर रोगों से ग्रसित (कैंसर रोगी, किडनी प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर, पूर्णतः दिव्यांग, पूर्णतः दृष्टिहीन) हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जावे एवं उनके विरुद्ध आने वाले कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर उन्हें मूल पदस्थापन हेतु भेजा जावे।
11. संबंधित संस्थाप्रधान निर्धारित अवधि तक स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें। बिन्दु संख्या 1 से 10 के अन्तर्गत वर्णित निर्देशों की पालना में कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाये जाने की स्थिति में सूचना तत्काल अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
12. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।


संलग्न :- आदेश (पृष्ठ एक)


(ओम प्रकाश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक दौसा

दिनांक: 29-06-2018

क्रमांक :- जिशाअ/मा/दौसा/संस्था-2/ स्थानान्तरण 2018/कैम्प-जयपुर/ 05
प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, स्वतंत्र प्रभार, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक।
5. संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ राउमावि/रामावि।
7. संबंधित कार्मिक।
8. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक दौसा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक दौसा

क्रमांक:- जिशिअ/मा/दौसा/संस्था-2/स्थानान्तरण 2018/कैम्प जयपुर/ 05
स्थानान्तरण आदेश

दिनांक:- 29-06-2018

क्र.सं.	कार्मिक का नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	पद कानाम	विषय	विद्यालय/कार्यालय का नाम	जिला	स्थानान्तरित स्थान	जिला	स्थानान्तरित विद्यालय का यू-ड्राईस कोड
1	बिहारीलाल शर्मा	शारी.शि. ग्रेड-III	-	रामावि. बडोली (दौसा)	दौसा	रामावि उदावाला (दौसा)	दौसा	8110207901
2	दिनेश कुमार पारीक	शारी.शि. ग्रेड-III	-	राउमावि महखुर्द (बांदीकुई)	दौसा	राउमावि अनन्तवाड़ा (बांदीकुई)	दौसा	8110114601
3	श्री सांवलराम मीना	शारी.शि. ग्रेड-III	-	रामावि निमाली (दौसा)	दौसा	राउमावि जौपाडा (दौसा)	दौसा	8110204901
4	राधेश्याम शर्मा	शारी.शि. ग्रेड-III	-	राउमावि जौपाडा (दौसा)	दौसा	रामावि निमाली (दौसा)	दौसा	8110221001
5	नरेश शर्मा	शारी.शि. ग्रेड-III	-	रामावि. जीरोता खुर्द (दौसा)	दौसा	रामावि. रामपुरा (दौसा)	दौसा	8110208101
6	अशोक कुमार शर्मा	शारी.शि. ग्रेड-III	-	रामावि. रामपुरा (दौसा)	दौसा	रामावि. जीरोता खुर्द (दौसा)	दौसा	8110211103
7	राजेन्द्र कुमार गुप्ता	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III	-	राउमावि झूगरपुर (लालसोट)	दौसा	राउमावि बापी (दौसा)	दौसा	8110210204
8	श्री मोहन लाल बैरवा	अध्यापक लेवल-1	-	राउमावि पीचूपाडा खुर्द (बांदीकुई)	दौसा	राउमावि कोट (महवा)	दौसा	8110404202
9	रामकरण मीना	अध्यापक लेवल-1	-	राउमावि टोडा टेकला (लालसोट)	दौसा	रामावि. बैजवाडी (लवाण)	दौसा	8110600501
10	अर्जुन सिंह गुर्जर	अध्यापक लेवल-1	-	राउमावि कोट (महवा)	दौसा	राउमावि पीचूपाडा खुर्द (बांदीकुई)	दौसा	8110101702
11	कविता शर्मा	अध्यापक लेवल-1	-	राबामावि लोटवाडा (बांदीकुई)	दौसा	राउमावि. नन्देरा (बांदीकुई)	दौसा	8110103301
12	ममता चितोशिया	अध्यापक लेवल-1	-	राउमावि. नन्देरा (बांदीकुई)	दौसा	राबामावि लोटवाडा (बांदीकुई)	दौसा	8110118905
13	मनोज कुमार शर्मा	अध्यापक लेवल-2	हिन्दी	राउमावि चांदेरा (सिकराय)	दौसा	राउमावि कालाखोह (दौसा)	दौसा	8110211004
14	सतीश कुमार शर्मा	अध्यापक लेवल-2	हिन्दी	राउमावि लांका (सिकराय)	दौसा	राउमावि सिण्डोली (दौसा)	दौसा	8110221101
15	विधी सेठी	अध्यापक लेवल-2	विज्ञान	राबामावि पापडदा (लवाण)	दौसा	राउमावि रेलवेस्टेशन दौसा (दौसा)	दौसा	8110226101
16	श्रीकिशन मीना	अध्यापक लेवल-2	सामाजिक विज्ञान	रामावि गादरवाडा गुजरान (बांदीकुई)	दौसा	रामावि मेहन्दीपुर बालाजी (सिकराय)	दौसा	8110500306
17	रामेश्वर प्रसाद मीना	अध्यापक लेवल-2	सामाजिक विज्ञान	राउमावि. करनावर (बांदीकुई)	दौसा	राउमावि गुमानपुरा (सिकराय)	दौसा	8110501508
18	मुकेश चन्द मीणा	अध्यापक लेवल-2	सामाजिक विज्ञान	राउमावि धूमडी (लवाण)	दौसा	रामावि हरिपुरा (दौसा)	दौसा	8110204401
19	कमल सिंह गुर्जर	अध्यापक लेवल-2	अंग्रेजी	राउमावि झूगरावता (लवाण)	दौसा	राबाउमावि गांधीचौक दौसा (दौसा)	दौसा	8110228001

नोट:- क्रम संख्या 8 एवम् 12 पर अंकित कार्मिकों को नियमानुसार योगकाल एवम् यात्रा भत्ता देय होगा।

(ओम प्रकाश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक दौसा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक दौसा

कार्यालय आदेश

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान इन्हें दिनांक 07.07.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

संबंधित संस्था प्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि :-

1. संबंधित कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण न होने की स्थिति में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
2. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो/निलम्बित हो/न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो/न्यायालय में कार्मिक के विरुद्ध वाद विचाराधीन हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
3. प्रबोधक तथा पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त ऐसे कार्मिक जिनका राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है, ऐसे कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापकों को शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
5. शिक्षक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के समय पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन एवं स्थानान्तरित जिले में वरिष्ठता कनिष्ठतम होने संबंधित सहमति का शपथ पत्र लिया जावे अन्यथा कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
6. गैर प्रतिबंधित जिले से गैर प्रतिबंधित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31.12.2012 के पश्चात् की हो तो उन्हें कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
7. प्रतिबंधित जिले से गैर प्रतिबंधित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31.12.2008 के पश्चात् की हो तो उन्हें कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
8. टीएसपी से गैर टीएसपी क्षेत्र हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
9. लेवल-1 एवं लेवल-2(सामान्य) के अध्यापक को लेवल-1 के पद पर एवं लेवल-2 के अध्यापक को संबंधित कार्मिक के विषयानुसार ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावे।
10. प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण होने पर यदि हटने वाले कार्मिक निर्धारित गम्भीर रोगों से ग्रसित (कैंसर रोगी, किडनी प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर, पूर्णतः दिव्यांग, पूर्णतः दृष्टिहीन) हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जावे एवं उनके विरुद्ध आने वाले कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर उन्हें मूल पदस्थापन हेतु भेजा जावे।
11. संबंधित संस्थाप्रधान निर्धारित अवधि तक स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें। बिन्दु संख्या 1 से 10 के अन्तर्गत वर्णित निर्देशों की पालना में कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाये जाने की स्थिति में सूचना तत्काल अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
12. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

संलग्न :- आदेश सूची (पृष्ठ एक)

(ओम प्रकाश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक दौसा

क्रमांक :- जिशिअ/मा/दौसा/संस्था-1/स्थानान्तरण 2018/कैम्प-जयपुर/ 04

दिनांक: 29-06-2018

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, स्वतंत्र प्रभार, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक।
5. संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ राउमावि/रामावि।
7. संबंधित कार्मिक।
8. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक दौसा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक दौसा

क्रमांक:- जिशिअ/मा/दौसा/संस्था-1/स्थानान्तरण 2018/कैम्प जयपुर/ 04

दिनांक:- 29-06-2018

स्थानान्तरण आदेश

क्र.सं.	कार्मिक का नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	पद कानाम	विषय	विद्यालय/कार्यालय का नाम	जिला	स्थानान्तरित स्थान	ब्लॉक	स्थानान्तरित विद्यालय का यू-डॉईस कोड
1	अवधेश कुमार शर्मा	च.श्रे.क.	-	राउमावि छारेडा (लवाण)	दौसा	राउमावि थूमडी (लवाण)	दौसा	8110609701
2	ललित किशोर शर्मा	च.श्रे.क.	-	राउमावि बडागांव खेडला (महवा)	दौसा	राउमावि खोहरा मुल्ला (महवा)	दौसा	8110409701

(ओम प्रकाश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक दौसा